रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 4, 1972/कार्तिक 13, 1894
No. 478] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4, 1972/KARTIKA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th November 1972

S.O. 697(E). In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Seventeenth Amendment Order, 1972.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'B' the entry No. 3 viz. "Peacock, dead or alive or part thereof including peacock feathers and articles made of peacock feathers" shall be deleted and substituted by:

"3. Peacock feathers and articles made of Peacock feathers excluding the items mentioned against item No. 18(49) in Part 'A' ".

3. In the Export (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'A' the entry No. 18 (28) viz. "Live Snakes (excluding Snake Skins)" shall be deleted and substituted by:

"18(28). Live Snakes (excluding non-poisonous Live Snakes and Snake skins)".

4. In the Export (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'B' the following entry shall be made after item No. 1 (iii)(x):

"1(iii)(y)—Live Snakes (non-poisonous)".

[No. E(C)O, 1968/AM(87).]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1972

एस० ओ० 697 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सत्रहवां संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, अनुसूची 1, भाग, 'बी' में प्रविष्टि सं० 3 अर्थात् "मयूर पंखों तथा मयूर पंखों से बनी वस्तुओं सहित मयूर, मृत अथवा जीवित अथवा उसके अंग" को हटा दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"3. भाग 'ए' में मद सं० 18(49) के सामने संकेतित मदों के अलावा मयूर पंख तथा मयूर-पखों से बनी हुई वस्तुएं ।"

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, अनुसूची-1 'ए' में प्रविष्टि सं० 18(28) अर्थात् "जीवित सांप (सांप की खाल को छोड़कर)" को हटाया जाएगा और उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"18 (28) जीवित सांप (जीवित अविषैले सांपों और सांप की खालों को छोड़कर)"

4. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, अनुसूची-1 भाग 'बी' में मद सं० 1 ((एक्स) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :—

"1 (iii) (वाई) जीवित सांप (अविषैले)"

[सं० ई(सी)ओ, 1968/ए० एम०(

एम० एम० सैन

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972